न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 145 /2021 (Bank Case)
GCMS NO – 2021/ 303

एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स मोहम्मद रईस इन्टरप्राईजेज (ऋणी –बंधककर्ता)
जरिये प्रोपराईटर मैसर्स रईस मोहम्मद पुत्र श्री जान मोहम्मद
पता– रामगंजमण्डी रोड, सुकेत, रामगंजमण्डी कोटा राजस्थान–326530
दूसरा पता– मकान नं. 2086, वार्ड नं. 21, रामगंजमण्डी रोड, तहसील सुकेत रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान–326530

2– श्रीमती शायना बी पत्नी रईसमोहम्मद (जमानती)
पता– वार्ड नं. 21,खटीक मोहल्ला, सुकेत सलावदखुर्द, सुकेत, रामगंजमण्डी रोड, रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान–326530

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थितः–

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांकः 12 . 01. 2022

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी " एयू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड" (जो पूर्व में "ए.यू. फाईनेन्सर्स इण्डिया लिमिटेड" के नाम से जाना जाता था) जिसका पंजीकृत कार्यालय–19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर–302001 राजस्थान में स्थित है, से प्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था 20 जून 2020 को 10,00,000/– रूपये (अक्षरे दस लाख रूपये)का ऋण लिया था। अप्रार्थी ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **मोहम्मद रईस की सम्पत्ति खसरा नं. 897, ग्राम पंचायत सुकेत, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान की सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 1950 स्क्वायर फुट है, चतुर्थ सीमा पूर्व में आशिफ मोहम्मद का मकान, पश्चिम में रामगंजमण्डी रोड, उत्तर में शरीफ मोहम्मद का मकान, दक्षिण में जुगुल किशोर का मकान है,** को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक. 31.12.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते में बकाया राशि– 1057233/– रूपये अक्षरे दस लाख सतावन हजार दो सो तैंतीस रूपये दिनांक 20.04.2021 तक एवं आज दिनांक 15.09.2021 तक कुल शेष राशि 11,55,840/– रू देय है व दिनांक 16.09.2021 से आगे का ब्याज व

जिला मजिस्ट्रेट

मय खर्चे आदि सहित पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 20.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 20.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 20.04.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया, नोटिस प्राप्ति के के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता **मोहम्मद रईस की सम्पत्ति खसरा नं. 897, ग्राम पंचायत सुकेत, पंचायत समिति खैराबाद, तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा राजस्थान की सम्पत्ति जिसका कुल क्षेत्रफल 1950 स्क्वायर फुट है, चतुर्थ सीमा पूर्व में आशिफ मोहम्मद का मकान, पश्चिम में रामगंजमण्डी रोड, उत्तर में शरीफ मोहम्मद का मकान, दक्षिण में जुगुल किशोर का मकान है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 12. 01.2022 को सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)